

नीलामी की शर्तें

1. सामान जैसा है, जहां है, के आधार पर GeM Portal पर नीलाम किया जावेगा।
2. बोलीदाताओं को GeM Portal पर बिड़ लगाने पर धरोहर राशि रु.7500/- (अक्षर राशि रु सात हजार पांच सौ मात्र) का बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट जो कि Pay & Accounts Officer (I.A.&A.D.) Rajasthan, Jaipur के नाम देय हो कार्यालय में बिड़ खुलने से पूर्व भौतिक रूप रूप से पहुंच जानी चाहिए अन्यथा बिड़ पर विचार नहीं किया जावेगा। असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि बिड़ प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत लौटा दी जावेगी। जिस बोलीदाता के पक्ष में नीलामी खुलेगी उसे धरोहर राशि कार्यालय से समस्त सामान उठाने के उपरांत लौटायी जावेगी।
3. सफल बोलीदाता को 05 कार्यदिवस में नीलामी राशि कार्यालय में बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा जो कि Pay & Accounts Officer (I.A.&A.D.) Rajasthan, Jaipur के नाम देय होगा।
4. नीलामी राशि जमा होने के उपरांत 10 दिवस में समस्त सामान अपने खर्चे पर उठाना होगा। 10 दिन के उपरांत सामान नहीं उठाने पर 500/- प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देय होगा एवं अधिकतम 10 दिन के बाद बोली निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. कार्यालय के विचार में यदि पर्याप्त मुल्य नहीं आया तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्चय बोली को भी रद्द कर नीलामी प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है।
6. सभी कर एवं प्रभार खरीददार को वहन करने होंगे। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को नियमानुसार जी.एस.टी. जमा कराकर कार्यालय को चालान प्रस्तुत करना होगा, एवं पैन कार्ड एवं आधार कार्ड जमा कराना होगा।
7. नीलामी के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर शहर स्थित न्यायालय ही होंगे।
8. समस्त अधिकार प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) के पास आरक्षित रहेंगे।

वरि.लेखाधिकारी / जी.डी.

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा.व हक.) राजस्थान,जयपुर।

जी.डी.1 / अनुप्रयोगी सामग्री / के-25 / 24-25

दिनांक:-

नीलामी सूचना

कार्यालय के फर्नीचर स्टोर में उपलब्ध अनुपयोगी / नकारा सामग्री की यथास्थिति आधार पर GeM Portal पर नीलामी की जावेगी। जो भी फर्म उपरोक्त सामग्री क्रय करने में रूचि रखते हैं उन्हें नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। सामान का निरीक्षण GeM Portal पर बिड़ Upload होने की दिनांक से कभी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखाविभाग के सदस्य एवं उनके परिजन इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

वरि.लेखाधिकारी / जी.डी.